महत्वपूर्ण / बजट 2014–2015

संख्या : बी–1–1505/दस–2014–12(2)/2014

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 09 मई, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014–2015 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये प्रस्तुत अंतरिम बजट के आधार पर प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2014 तक) का लेखानुदान लिया गया है तथा वर्ष 2014–2015 के अन्तरिम बजट का अनुदानवार/ मदवार विस्तृत विवरण सभी विभागों को उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2014–2015 का अनुदानवार विस्तृत विवरण वित्त विभाग की वेब साइट **budget.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है जिसका प्रिन्ट लिया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या बी–1–2166/दस–2013–12(2)/2014 दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 द्वारा जारी किये गये थे। अब वित्तीय वर्ष 2014–2015 का बजट तैयार किया जाना है । अतः शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में वित्तीय वर्ष 2014–2015 के बजट अनुमानों को तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1–वित्तीय वर्ष 2014–2015 के बजट में शामिल किये जाने हेतु "व्यय की नई मदों" के प्रस्ताव (संलग्नक के अनुसार) उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार वित्त विभाग को उपलब्ध करायें जाय।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को 66 योजनाओं मे पुनर्गठित कर वित्तीय वर्ष 2014–2015 से केन्द्रांश की धनराशि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में और सभी केन्द्र पोषित योजनाओं की धनराशि को राज्य के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने निर्णय लिया गया है। अतः वर्ष 2014–2015 के बजट में सभी विभागों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि बजट में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिये केन्द्रांश का समुचित प्रावधान करा लिया गया है। यदि अंतरिम बजट में किसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में समुचित (केन्द्रांश एवं राज्यांश) बजट प्रावधान नहीं है अथवा किसी योजना विशेष में बजट प्रावधान नहीं हो पाया है तो इसके लिये वित्तीय वर्ष 2014–2015 के बजट में केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिये आवश्यक बजट प्रावधान कराना सुनिश्चित किया जाये । प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगें कि केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिये जो बजट प्रावधान कराया जा रहा है उसके लिये नियोजन विभाग से आवश्यक परिव्यय प्राप्त कर लिया गया है ।

3– समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–1425/क0नि0प्र0/26–3–2013–13(21)/2013, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइवल सब प्लान के कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया है जिसके अनुसार नियोजन विभाग द्वारा राज्य के कुल आयोजनागत परिव्यय का 21.21 प्रतिशत अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइवल सब प्लान हेतु समाज कल्याण विभाग को एकमुश्त परिव्यय उपलब्ध कराया जायेगा । इस आवंटित परिव्यय के सापेक्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के प्रस्तर–1 (ब) के अनुसार –

1–लाभार्थीपरक योजनाओं ।

2–क्षेत्र आधारित लघु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण संबंधी परियोजनाओं ।

3–वृहद आधारभूत परियोजनाओं ।

के लिये संबंधित विभागों को अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइबल सब प्लान के लिये परिव्यय आवंटित किया जाना है और तद्नुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के लिये अनुदान संख्या–83 एवं ट्राईबल सब प्लान के लिये अनुदान संख्या–81 में बजट प्रावधान कराया जाना है । उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अनुदान संख्या–83 एवं 81 में क्रमशः अनुसूचित जाति सब प्लान एवं ट्रायबल सब प्लान के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–2015 में बजट प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

4– विभागीय बजट प्रस्तावों में सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर तथा इस सम्बन्ध में आवश्यकता का सही आंकलन करते हुये सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार किये जायें ।

5– कृपया प्रशासकीय विभाग उपरोक्तानुसार बजट प्रस्ताव विलम्बतम् दिनाँक 23 मई, 2014 तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : बी–1–1505 (1)/दस–2013–12(2)/2014, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन ।
6 समाज कल्याण आयुक्त / प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ ।
8 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11 वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
12 सचिवालय के समस्त अनुभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि प्राक्कलन अधिकारियों द्वारा बजट अनुमान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कार्यालय के बजट अनुभाग को भी ससमय भेजे जायें । बजट अनुमान भेजते समय वे कृपया इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि इस शासनादेश में निहित समस्त अनुदेशों का पालन हो गया है ।
13 प्रभारी अधिकारी, यू.पी.निकनेट सेल, वित्त विभाग, कक्ष संख्या–82, नवीन भवन, उ.प्र.सचिवालय को वित्त विभाग की वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु ।
14 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

नई मांगों के प्रस्तावों की जाँच हेतु ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य बिन्दु

[सन्दर्भ – प्रस्तर 10(क)]

1) सीमित संसाधनों के भीतर क्या योजना/कार्यक्रम का राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है ?

2) क्या प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा क्रियान्वित नहीं की जा सकती है ? यदि योजना पर कम व्यय करके (अर्थात गैर सरकारी संस्था को अनुदान दे कर) उसे किसी निजी/गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाया जा सके तो इससे राज्य सरकार पर कम व्यय–भार पड़ेगा ।

3) प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम का कास्ट–बैनीफिट के आधार पर मूल्यांकन इस दृष्टि से भी किया जाये कि उस पर होने वाले व्यय के सापेक्ष किस सीमा तक आर्थिक / सामाजिक लाभ प्राप्त होगा ?

4) क्या किसी चालू योजना/योजनाओं को समाप्त करके बिना कोई अतिरिक्त राशि व्यय किये प्रस्तावित नई योजना/कार्यक्रम को चलाया जा सकता है ?

5) प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम के आवर्तक व्यय में अधिष्ठान व्यय का अंश प्रतिशत के रूप में कितना है ? प्रस्तावित योजना में परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत पक्ष में कितना व्यय अनुमानित है तथा व्यय के अनुमान का आधार क्या है ? क्या योजना की लागत किसी मानक के आधार पर निर्धारित की गई है ?

6) विभाग द्वारा चालू योजनाओं की जीरो बेस समीक्षा करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऐसी मदों की पुनरावृत्ति नही हो रही है जो अप्रासांगिक हो चुकी हों । इसके फलस्वरूप विभाग द्वारा चिन्हित की गयी बचतों का विवरण दिया जाय ।

7) क्या परियोजनाओं / योजनाओं का वरीयता क्रम तैयार किया गया है और क्या बजट में ऐसी परियोजनाओं / योजनाओं को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो वित्तीय एवं आर्थिक रूप से वायबल हैं और जिनमें अधिक लाभ (रिटर्न) निहित हैं ? यह सुनिश्चित किया जाना अत्यावश्यक है कि समान अथवा एक जैसे उद्देश्यों वाली योजनाओं की बहुतायत बजट में न हो ताकि ऐसी योजनाओं के लिए अलग–अलग थोड़े–थोड़े संसाधनों का आवंटन रोका जा सके । ऐसी योजनाओं की डवटेलिंग की जाय। (कृपया बजट मैनुअल का प्रस्तर–206 देखें)

8) योजनाओं का मूल्यांकन करने में "वैल्यू फॉर मनी" के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाये ।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये व्यय की नई मांग का प्रस्ताव

[सन्दर्भ – प्रस्तर 11]

आयोजनागत / आयोजनेतर
(धनराशि हजार रुपयों में)

विभाग का नाम : ..... अनुदान संख्या व नाम : .....

(अ) प्रस्ताव के संबंध में विवरण

1. योजना का नाम :
2. योजना की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इसके उद्देश्य :
3. योजना का औचित्य एवं विचार किये गये विकल्पों का विवरण :
4. (क) कार्यदायी संस्था का उल्लेख करते हुये योजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा :
   (ख) क्रियान्वयन कार्यक्रम का टाईम शेड्यूल एवं कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित (टार्गेट) तिथि :

(ब) प्रस्ताव का वित्तीय उपाशय

5. निहित कुल व्यय (आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय अलग–अलग दिखाया जाय), मदवार संक्षिप्त विवरण एवं वर्षवार फेजिंग । आवर्तक व्यय में अधिष्ठान व्यय का अंश (प्रतिशत के रूप में) इंगित किया जाय । :
6. यदि पदों के सृजन की आवश्यकता हो तो पदों की संख्या । (वेतनमान एवं स्टाफिंग मानक संबंधी विवरण संलग्न करें) :
7. यदि व्यय निर्माण कार्यों पर हो तो औचित्य सहित कार्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुये बजट अनुमानों का आधार स्पष्ट किया जाय । कार्य पूर्ण होने अथवा / तथा आपूर्तित उपकरणों / मशीनों आदि की वारण्टी अवधि (यदि कोई हो) के समाप्त होने पर अनुरक्षण पर अनुमानित वर्षवार व्यय । :
8. योजना के वित्तीय स्रोत – :

   (1) केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं – फाइनेन्सिंग पैटर्न का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय । केन्द्रांश आदि के प्राप्त / प्राप्य अंश के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट की जाय ।

   (2) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें – उपरोक्त (1) के अनुसार विवरण दिया जाय ।

   (3) अन्य – संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के परिप्रेक्ष्य में कन्वर्जेन्स के माध्यम से डवटेलिंग से प्रश्नगत योजना के लिए प्राप्त होने वाली धनराशियों का विवरण ।

   (प्रस्तावित योजना केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना अथवा अन्य वित्तीय संस्था से सहायतित होने की दशा में केन्द्रांश अथवा अन्य वित्तीय संस्था का अंश एवं राज्यांश का प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय ।)

9. विभिन्न कार्यक्रमों / परियोजनाओं / योजनाओं के अवशेष कार्यों (जिसमें भूमि–भवन, साज–सज्जा, मशीनें उपकरण वाहन आदि सम्मिलित हैं) के लिए अनुमानित लागत के समक्ष वर्षवार लाइबिलिटीज़ का पृष्ठ 21 पर दिये गये प्रपत्र पर विवरण । (रुपये पाँच करोड़ की लागत तक के कार्यों के लिए वर्षवार विवरण संहत रूप से दिया जा सकता है लेकिन रुपये पाँच करोड़ से अधिक लागत के इन्डीविजुअल कार्यों के लिए अलग–अलग विवरण दिया जाय ।)

10. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के अध्याय–8 तथा अध्याय–19 के अनुसार अन्य अपेक्षित विवरण ।

11. आय–व्ययक में प्रस्तावित धनराशि के लिए लेखाशीर्ष के अनुसार विभाजन – :

(यह भी उल्लेख किया जाय कि बजट में प्रस्तावित प्रावधान केन्द्रांश अथवा अन्य वित्तीय संस्था का अंश और राज्यांश दोनों के लिए है अथवा केवल राज्यांश के लिए है ।)

राजस्व व्यय : .....

.....

योग : राजस्व व्यय : .....

पूँजीगत व्यय : .....

.....

योग : पूँजीगत व्यय : .....

कुल योग : .....

12. अन्य संगत विवरण

(स) पूरक सूचना यदि कोई हो,

(द) बिन्दु जिन पर निर्णय / स्वीकृति अपेक्षित हैं

अनुभाग का नाम : .....

पत्रावली संख्या : .....

दिनाँक : .....

हस्ताक्षर :

प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव